

Order sheet [Contd]

case No: HMA-35/15

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04/07/17	<p>आवेदक स्वयं उपस्थित । अनावेदिका अनिर्वाहित । प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि लगातार पांच पेशियों से आवेदक की ओर से कोई तलवाना पेश नहीं किया गया है इस प्रकार प्रकरण की प्रगति अवरुद्ध है । अतः यह प्रकरण तलवाना पेश न करने के कारण खारिज किया जाता है । मेमो ऑफ कोस्ट तैयार की जावे । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड</p>	